न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या– 13/2020
प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक–14.02.2020
निर्णय दिनांक–12.03.2020

रमेश पुत्र मोहरू जाति जाट निवासी ग्राम मोहम्मदनगर तह0 पीपलू जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांकः–12.03.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि खाता संख्या 186 संवत् 2073–2076 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 56/1 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम मोहम्मदनगर तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी एक मात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। उक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा रमेश की जगह सुरेश अंकित कर दिया गया हैं एवं पिताजी का नाम मोहरू की जगह मोरीलाल अंकित कर दिया जो गलत हैं जबकि अन्य राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजातों में प्रार्थी व उसके पिताजी का नाम सुरेश पुत्र मोरीलाल की जगह रमेश पुत्र मोहरू दर्ज है लेकिन प्रार्थी के पिताजी के विरासत का नामान्तकरण भरते समय गलती से सुरेश पुत्र मोरीलाल दर्ज हो गया । आवेदक ने अपने नाम से जो आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड बने हुए हैं। उनमें आवेदक का नाम रमेश पुत्र मोहरू अंकित हैं। उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से सुरेश पुत्र मोरीलाल अंकित है, उक्त त्रुटी सहवंन व लिपिकीय भूल के कारण हुई हैं। जो एक लिपिकीय त्रुटि है। उसके स्थान पर आवेदक व आवेदक के पिता का सही एवं वास्तविक नाम रमेश पुत्र मोहरू जाति जाट अंकित करवाये जाने का प्रार्थी अधिकारी है ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई तथा अप्रार्थी से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी की और से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक व तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम सुरेश पुत्र मोरीलाल कोम जाट दर्ज हैं एवं प्रार्थी के दस्तावेजात् आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, ग्राम देवपुरा की जमाबंदी संवत् 2071–2074 खाता संख्या 61 मे प्रार्थी एवं इसके पिता का नाम रमेश पुत्र मोहरू जाति जाट दर्ज हैं व इस बाबत् आवेदक रमेश ने आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं ग्राम देवपुरा की जमाबंदी संवत् 2071–2074 खाता संख्या

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

61 की छाया प्रति बतौर सबूत पेश की। अतः सहवन से जो गलत नाम अंकित गया हैं। वह त्रुटी पूर्ण हैं। जिसको सही किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि में प्रार्थी व उसके पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार व आदेश के रमेश पुत्र मोहरू की जगह सुरेश पुत्र मोरीलाल अंकित कर दिया हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम रमेश पुत्र मोहरू जाति जाट हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड एवं ग्राम देवपुरा की जमाबंदी संवत् 2071–2074 खाता संख्या 61 की छाया प्रति पेश की। जिसमें प्रार्थी का नाम सही अंकित हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत अंकित कर दिया गया। जो त्रुटिपूर्ण हैं। जो एक लिपिकीय त्रुटी हैं। जिसकों दुरूस्त किये जाने का प्रार्थी ने निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई राजस्व रिकॉर्ड वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड एवं ग्राम देवपुरा की जमाबंदी संवत् 2071–2074 खाता संख्या 61 की छाया प्रति की प्रति से स्पष्ठ होता हैं कि प्रार्थी व उसके पिता का वास्तविक एवं सही नाम रमेश पुत्र मोहरू हैं। इस कारण उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व उसके पिता का सही नाम अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना उचित हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम खाता संख्या 186 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 56/1 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम मोहम्मदनगर तह0 पीपलू जिला टोंक में प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र मोरीलाल की जगह रमेश पुत्र मोहरू जाति जाट व उसके पिताजी का नाम मोरीलाल के जगह मोहरू राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता हैं। तहसीलदार, पीपलू निर्णय अनुसार पालना करें। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक **12.03.2020** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner